गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 No. 25 of 2009)

क्रमांक– 1369/अका./2011 बिलासपुर, दिनांक– 08/8/2011

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
मानस भवन, श्यामला हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– **बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम की संबद्धता स्थगन की सूचना ।**

महोदय,

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.11 में लिये गये निर्णय के अनुसार एनसीटीई द्वारा बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्डों में निम्न कमियाँ पाये जाने पर निम्न 10 महाविद्यालयों द्वारा संचालित बी.एड../एम.एड. पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई है :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों के बावजूद आज दिनांक 07.08.11 तक महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत एक भी शिक्षकों की नियमित नियुक्तियाँ नहीं की गयी ।
2. राज्य शासन द्वारा बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2010–11 में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अधिक लिये गये शुल्क की वापसी से संबंधित प्रमाण (चेक सं./धनराशि/दिनांक) महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये ।

<u>संबंधित महाविद्यालयों का नाम</u> :–

1. शुभम शिक्षण महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)।
2. कोणार्क शिक्षा महाविद्यालय, खोखसा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
3. महंत लालदास कला/विज्ञान महाविद्यालय, शिवरीनारायण, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
4. पं. हरशिंकर शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)।
5. श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) ।
6. ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
7. ज्ञानदीप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।
8. डी.एल.एस.महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) ।
9. मेडुका शिक्षा महाविद्यालय, मेडुका (पेण्ड्रारोड), बिलासपुर (छ.ग.)।
10. राहौद शिक्षा महाविद्यालय, राहौद, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।

उक्त महाविद्यालयों को सूचित किया गया है कि उपरोक्त कमियों को पूर्ण कर संबद्धता बहाल करने हेतु (संपूर्ण अभिलेखों सहित) महाविद्यालय द्वारा आवेदन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा, किंतु उक्त कमियों को पूर्ण कर संबद्धता बहाल न कराने पर यदि महाविद्यालय द्वारा सत्र 2011–12 में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार,

उप–कुलसचिव (अकादमिक)

क्रमांक 1395/अका./2011 बिलासपुर, दिनांक – 08/8/2011

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, विंग–दो, हंस भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

D:/PM5/A-2/397

क्रमशः 2...

2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर को उनके फैक्स पत्र क्रमांक–2435 दिनांक 01.08.2011 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अवर सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, डी.के.एस.भवन,मंत्रालय,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव/निज सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. संचालक, म.वि.प./अधिष्ठाता,छात्रकल्याण/परीक्षा नियंत्रक/सहा.कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) को सूचनार्थ प्रेषित ।
6. संगणक विज्ञान विभाग की ओर इस आशय के साथ की उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट में अपलोड करने की कार्यवाही करें ।

सहा.कुलसचिव (अका.)